<u>प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 27/2020)</u>

<u>तुरंत जारी करने के लिए</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने "भारत में टेलीविजन ऑडियंस मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा" पर सिफारिशें जारी की।

नई दिल्ली, 28 अप्रैल 2020 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज "भारत में टेलीविजन ऑडियंस मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा" पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं।

2. ऑडियंस मापन का अर्थ है कि जो देखा जा रहा है उसका मापन। ऑडियंस मापन के डेटा के आधार पर, टेलीविजन पर विभिन्न कार्यक्रमों को रेटिंग दी जाती है। टेलीविजन रेटिंग दर्शकों के तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रभावित करती है।

3. MIS ने भारत में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों के लिए 10 जनवरी 2014 को नीति दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया। इन दिशानिर्देशों के तहत, उद्योग की अगुवाई वाली संस्था SARC को भारत में टेलीविज़न रेटिंग को आगे बढ़ाने के लिए 28 जुलाई 2015 को MIS द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। SARC ने 2015 में अपने काम की शुरुआत की और तब से यह व्यावसायिक आधार पर टीवी रेटिंग सेवाओं का एकमात्र प्रदाता है।

4. मौजूदा रेटिंग प्रणाली की तटस्थता और विश्वसनीयता से संबंधित कई चिंताएं हितधारकों ने उठाई हैं, जिससे भारत में मौजूदा टेलीविजन ऑडिएंस मापन एवं रेटिंग सिस्टम की समीक्षा करने की आवश्यकता हुई।

5. तदनुसार, भादूविप्रा ने मौजूदा प्रणाली की समीक्षा से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों की मांगने के लिए 3 दिसंबर 2018 को "भारत में टेलीविजन ऑडियंस मापन और रेटिंग की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया। टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2019 थी और प्रति-टिप्पणियों की 28 फरवरी 2019 थी। भादूविप्रा को 23 टिप्पणियां और 3 प्रति-टिप्पणियां मिलीं। सभी टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके बाद, विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के विचार जानने के लिए इस विषय पर खुला मंच चर्चाएं 31 मई 2019 को नई दिल्ली में और 3 जुलाई 2019 को मुम्बई में आयोजित की गईं।

6. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों पर विचार करने और मुद्दों के आगे के विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(i) हितों के टकराव के संभावित जोखिम को कम करने, विश्वसनीयता में सुधार, और पारदर्शिता लाने, और टीआरपी मापक प्रणाली में सभी हितधारकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए BARC के शासन ढांचे में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है।

(ii) BARC इंडिया के बोर्ड की संरचना को प्रस्तावित संरचनात्मक सुधारों के भाग के रूप में बदला जाना चाहिए।

(iii) बोर्ड में कम से कम पचास प्रतिशत स्वतंत्र सदस्य होने चाहिए, जिसमें माप प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में एक सदस्य, देश के शीर्ष संस्थान (राष्ट्रीय) से एक राष्ट्रीय सांख्यिकीविद् और सरकार/नियामक से दो प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।

(iv) BARC इंडिया के पुनर्गठन बोर्ड को तीन घटक उद्योग संघों, अर्थात् AAAI, ISA और IBF के समान प्रतिनिधित्व के लिए और इक्विटी होल्डिंग के अनुपात के बावजूद समान मतदान अधिकारों के साथ प्रदान करना चाहिए।

(v) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों के लिए होगा।

(vi) विज्ञापनदाताओं की सटीक भागीदारी दर्शकों तक पहुँचने की उनकी अंतर्निहित आवश्यकता के कारण विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसी के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी प्रणाली में अधिक सटीकता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और तटस्थता लाएगी।

(vii) घटक उद्योग संघ अपने प्रतिनिधियों को बोर्ड सदस्यता के अधीन नामित करने के लिए इस शर्त के हकदार होंगे कि इस तरह के किसी भी नामित सदस्य के लिए 4 वर्षों की कूलिंग अवधि लगातार दो कार्यकालों के बीच लागू होगी।

(viii) बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बोर्ड की अध्यक्षता को प्रत्येक दो वर्षों में घटक उद्योग संघों के बीच बदला जाएगा।

(ix) दो बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों के अलावा तकनीकी समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ५ की जानी चाहिए।

(x) अनुसंधान, डिजाइन और विश्लेषण के क्षेत्रों में BARC इंडिया का मार्गदर्शन करने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिससे रेटिंग प्रणाली में लगातार सुधार हो।

(xi) निगरानी समिति में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, आईआईएम, आईआईटी, मीडिया रिसर्च एक्सपर्ट और डेमोग्राफी एक्सपर्ट, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से नामित और भादूविप्रा के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।

(xii) समिति को बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों के नामांकन / नियुक्ति के साथ-साथ BARC इंडिया को नीति निर्देश देने के लिए भी ज़िम्मेदार होना चाहिए, यदि ऐसा आवश्यक हो तो।

(xiii) डेटा का विश्वसनीय और सटीक संग्रह बनाने के लिए, कई डेटा संग्रह एजेंसियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

(xiv) डेटा संग्रह और प्रोसेसिंग के लिए प्रतिस्पर्धा और कई एजेंसियां नई प्रौद्योगिकियों, नई शोध विधियों, विश्लेषण में नए तरीकों, बेहतर डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए और बेहतर तरीके लाएंगी।

(xv) BARC को अपनी सहायक कंपनी, मीटरोलॉजी डेटा प्राइवेट लिमिटेड के करीब होना चाहिए, जो BARC के लिए एकमात्र डेटा संग्रहण एजेंसी है, ताकि डेटा असंगति में निहित जांच सुनिश्चित करने के लिए माप की पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से की जा सकें।

(xvi) पूरी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, क्षेत्र से डेटा एकत्र करने और संसाधित करते समय चैनल के नाम और नंबर की पहचान को रोकने का प्रयास किया जा सकता है।

(xvii) BARC को अपने कार्यों को दो इकाइयों में विभक्त करना चाहिए (क) एक इकाई को डेटा की रेटिंग/वैधता की कार्यप्रणाली निर्धारित करने और ऑडिट प्रणाली को प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और (ख) लिए दूसरी इकाई डेटा को संसाधित करने, वॉटरमार्किंग या डेटा संग्रह एजेंसियों के प्रबंधन सहित किसी भी अन्य तकनीकी कार्य के लिए होगी

(xviii) एक बार कई एजेंसियां रेटिंग के लिए आगे आने पर, BARC को रेटिंग प्रकाशित करने के लिए अपनी भूमिका को सीमित करना चाहिए, और रेटिंग एजेंसियों के लिए कार्यप्रणाली और ऑडिटिंग तंत्र को तैयार करना चाहिए, ताकि एजेंसियों की संख्या नई तकनीकों का लाभ उठाते हुए कई रेटिंग सिस्टम विकसित कर सके।

(xix) रेटिंग एजेंसी को 2020 के अंत तक नमूना आकार को मौजूदा 44,000 से बढ़ाकर 60,000, और मौजूदा तकनीक का उपयोग करके 2022 के अंत तक 1,00,000 करने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए।

(xx) BARC भारतीय सांख्यिकीय संस्थान या किसी भी अन्य संस्थान के सहयोग से उचित नमूना आकार का अनुमान लगाने के लिए, और क्षेत्रीय और आला चैनलों सहित दर्शकों की सही प्रतिनिधित्व का पता लगाने के लिए एक अध्ययन करेगा। एक बार नमूना आकार में वृद्धि होने पर; यह डेटा से छेड़छाड़ को असंभव बना देगा। किए गए अध्ययन के आधार पर, BARC को समयबद्ध तरीके से नमूना आकार को हासिल करना चाहिए।

(xxi) अगर BARC द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा नहीं किया जाता है तो पंजीकरण रद्द करने सहित आर्थिक दंड का प्रावधान होना चाहिए, ।

(xxii) एमआईबी को डीटीएच लाइसेंस और एमएसओ पंजीकरण में संशोधन करना चाहिए ताकि दर्शकों के डेटा को स्थानांतरित करने में सक्षम एसटीबी को अनिवार्य किया जा सके और आरपीडी प्रौद्योगिकी को अपनाया जा सके। डेटा का यह स्थानांतरण एसटीबी से ऑडियंस मेजरमेंट एजेंसी के दूरस्थ सर्वरों में रिटर्न पथ/कनेक्शन स्थापित करके किया जा सकता है।

(xxiii) सांख्यिकीय विश्लेषण और टेलीविज़न रेटिंग उद्देश्य के लिए बेनामी दर्शकों का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑडियंस मेजरमेंट एजेंसी को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। सब्सक्राइबरों की स्पष्ट सहमति के बिना किसी भी एसटीबी का कोई भी डेटा रेटिंग एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

{xxiv) DPO को समय-समय पर भादूविप्रा द्वारा निर्धारित समग्र ढांचे के भीतर माप रेटिंग एजेंसी के साथ डेटा साझा करने के नियमों और शर्तों को पारस्परिक रूप से बातचीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। MIB द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद भादूविप्रा द्वारा इस तरह की रूपरेखा निर्धारित की जाएगी।

(xxv) BARC को सभी प्रासंगिक डेटा जैसे घरेलू पैनल से से प्राप्त मूल डेटा रखना {मीटर-लेवल डेटा), रेटिंग के लिए हटाए गए/नजरअंदाज/ विचार नहीं किए गए डेटा और टीआरपी रेटिंग के लिए परिणामी संसाधित डेटा, जो कम से कम एक वर्ष के लिए एक ही प्रारूप और पैटर्न में अंतिम रेटिंग के रूप में ब्रॉडकास्टर्स, विज्ञापन एजेंसियों और विज्ञापनदाताओं सहित ग्राहक को घोषित किया जाता है, रखना चाहिए।

{xxvi) BARC को समय-समय पर किए गए वैज्ञानिक अध्ययन और बाजार सर्वेक्षण के आधार पर अपनी बाह्य नीति की समीक्षा/रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। BARC को डाटा प्रोसेसिंग को इस तरह से संचालित करना चाहिए कि अंतिम TRP रेटिंग जारी होने से पहले कोई मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता न हो। मीटर स्तर/घरेलू पैनल से प्राप्त होने वाले कच्चे डेटा में किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए। मानवीय हस्तक्षेप, यदि कोई हो, असामान्य परिस्थितियों में सूचित किया जाना चाहिए और लेखा परीक्षकों को भी सूचित किया जाना चाहिए।

{xxvii) शिकायत निवारण के लिए नोडल अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के साथ उचित प्रणाली बनाई जा सकती है।

(xxviii) BARC को TRP रेटिंग पद्धति, नमूना आकार, और शिकायत निवारण पद्धति के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा वार्षिक ऑडिट कराना चाहिए और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद तीन महीने के भीतर बोर्ड की मंजूरी के बाद अपनी वेबसाइट पर ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करना चाहिए।

7. सिफारिशों का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

8. किसी भी स्पष्टीकरण / जानकारी के लिए, श्री अरविंद कुमार, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर: + 91-11-23220209, फैक्स: + 91-11- 23230056 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।